

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- प.10(201)नविवि/3/10
08.2010

जयपुर, दिनांक 10.

—: अधिसूचना :-

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर को पिलानी विद्या-विहार जिला झुन्झुनू के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है:-

क.सं.	गाँव	VILLAGE
1	खेडला	Kherla
2	हनुतपुरा	Hanutpura
3	धिन्धवा आथूना	Dheendhwa Athoona
4	झेरली	Jherli
5	पिलानी	Pilani
6	बिसनपुरा (पांथडिया-II)	Bishanpura-Panthriya-II
7	धिन्धवा बीचला	Dheendhwa Bichla
8	रायला	Rayla
9	घुमनसर कलां	Ghumansar Kalan
10	पांथडिया	Panthariya

राज्यपाल की आज्ञा से
(पुरुषोत्तम बियाणी)
शासन उप

सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना का राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, झुन्झुनू।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पिलानी विद्या-विहार।
8. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)
उप नगर
नियोजक